



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102022-239754
CG-DL-E-20102022-239754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4723]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2022/आश्विन 27, 1944

No. 4723]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4935(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 5057, तारीख 07.12.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 07.12.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-552 (विस्तारित) के कि.मी. 238+940 से 254+370 कि.मी. तक (मुरैना से अम्बाह पोरसा रोड) (मुरैना बाईपास) अतिरिक्त के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने / चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "मध्य राज" में बुधवार 22 दिसंबर 2021 और "फ्री प्रेस" में रविवार 26 दिसंबर 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

या

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-552 (विस्तारित) के कि.मी. 238+940 से 254+370 कि.मी. तक (मुरैना से अम्बाह पोरसा रोड़) (मुरैना बाईपास) अतिरिक्त के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: मुरैना			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मुरैना				
	गांव का नाम: अतरसूमा				
1	1049	निजी	सिंचित	0.065	राजेंद्र प्रसाद गोविंद प्रसाद पुत्र ताराचंद जाति वैश्य पता जैन मंदिर रोड मुरैना जैन मंदिर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी २१/१७९, गोविंद प्रसाद पुत्र ताराचंद जाति वैश्य पता जैन मंदिर रोड मुरैना जैन मंदिर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, उमर गोयल पत्नी राजेंद्र प्रसाद जाति वैश्य पता जैन मंदिर रोड मुरैना जैन मंदिर मध्य प्रदेश, राजेंद्र प्रसाद गोयल और ब्रदर्स एच.यू.एफ. द्वारा कर्ता राजेंद्र प्रसाद गोयल संयुक्त हिंदू परिवार जाति शून्य पता जैन मंदिर रोड मुरैना मध्य प्रदेश प्रा. संस्था ७३/१७९ (१०४९)
2	1050	निजी	सिंचित	0.707	राजेंद्र प्रसाद गोविंद प्रसाद पुत्र ताराचंद जाति वैश्य पता जैन मंदिर रोड मुरैना जैन मंदिर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी २१/१७९, गोविंद प्रसाद पुत्र ताराचंद जाति वैश्य पता जैन मंदिर रोड मुरैना जैन मंदिर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, उमर गोयल पत्नी राजेंद्र प्रसाद

					जाति वैश्य पता जैन मंदिर रोड मुरैना जैन मंदिर मध्य प्रदेश, राजेंद्र प्रसाद गोयल और ब्रदर्स एच.यू.एफ. द्वारा कर्ता राजेंद्र प्रसाद गोयल संयुक्त हिंदू परिवार जाति शून्य पता जैन मंदिर रोड मुरैना मध्य प्रदेश प्रा. संस्था ७३/१७९ (१०५०)
			कुल	0.772	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/05/2017-18/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2022

S.O. 4935(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O. 5057 dated 07.12.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four - Laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH-552 Ext. on the stretch of land from Km. 238+940 to 254+370 Km. in (Morena Ambah Porsa-Road) (Morena-Bypass) Additional in the District of MORENA in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Madhya Raj” 22 December 2021 Wednesday; And “Free Press” 26 December 2021 Sunday; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 238+940 to 254+370 Km. (Morena Ambah Porsa Road) (Morena-Bypass) Additional of the National Highway No. NH-552 Ext. in the district of MORENA in the State of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: MORENA		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Morena				
	Village: Atarsuma				
1	1049	Private	Irrigated	0.065	Rajendra Prasad Govind prasad S/O Tarachand caste Vaishy Address Jain Mandir Road Morena Jain Mandir Madhya Pradesh Land Owner 21/179,

					Govind prasad S/O Tarachand caste Vaishy Address Jain Mandir Road Morena Jain Mandir Madhya Pradesh Land Owner, Umar Goyal wife Rajendra Prasad caste Vaishy Address Jain Mandir Road Morena Jain Mandir Madhya Pradesh, Rajendra Prasad Goyal and Brothers H.U.F. Dwara Karta Rajendra Prasad Goyal Sanyukt Hindu Pariwar caste null Address Jain Mandir road Morena Madhya Pradesh Pvt. Sanshth 73/179 1049
2	1050	Private	Irrigated	0.707	Rajendra Prasad Govind prasad S/O Tarachand caste Vaishy Address Jain Mandir Road Morena Jain Mandir Madhya Pradesh Land Owner 21/179, Govind prasad S/O Tarachand caste Vaishy Address Jain Mandir Road Morena Jain Mandir Madhya Pradesh Land Owner, Umar Goyal wife Rajendra Prasad caste Vaishy Address Jain Mandir Road Morena Jain Mandir Madhya Pradesh, Rajendra Prasad Goyal and Brothers H.U.F. Dwara Karta Rajendra Prasad Goyal Sanyukt Hindu Pariwar caste null Address Jain Mandir road Morena Madhya Pradesh Pvt. Sanshth 73/179 1050
			TOTAL	0.772	

[F. No. CE-RO BPL/30010/05/2017-18/3D]

RAJESH GUPTA, Director